न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 45/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राधेश्याम गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
3. रामबाबू गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
4. राजेश कुमार गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. भेरूनाथ पि. पूरानाथ जाति नाथ बाबा नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 , 209 रा.टी.एक्ट

वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री विनोद जैन

दिनांक : 09/12/21

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 329 आराजी किता 4 रकबा 1.9223 हेक्टर में से ख.नं. 44 रकबा 1.3785 हेक्टर का 1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 45 रकबा 0.4679 हेक्टर का 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात किता 2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 , 188 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पिता रामविलास पि. कंवरलाल जाति महाजन नि. माथनिया द्वारा तत्कालीन खातेदार पूरानाथ पि. ओंकारनाथ नि. माथनिया से दिनांक 15.09.1969 को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद की थी एवं कब्जा मौके पर प्राप्त किया था तब से ही वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर नामा.सं. 442 ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा तस्दीक

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़
प्रशासन गांव के संग 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(2)

किया परन्तु तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा फ्रेगमेंट की जद में आने से उक्त नामा.का अमल रोक दिया जिस कारण वादीगण के पिता द्वारा खरीद की गई आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं हो पायी। वादग्रस्त आराजी के संबंध में दर्ज नामा.सं. 442 का अमल नहीं होने से बेचानकर्ता के मृत्यु के बाद उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई। वादीगण खरीदकर्ता रामविलास पि. कंवरलाल के वैध वारीसान है जिससे उक्त आराजी के खातेदार घोषित होने योग्य है। वाद कारण दिनांक 26.07.2021 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान आराजी का रहननामा करवाया।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 44 रकबा 1.3785 हेक्टर का 1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 45 रकबा 0.4679 हेक्टर का 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। वाद पत्र के साथ ग्राम माथनिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 329 की नकल एवं रजिस्टर्ड बयनामा की प्रति प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री विनोद जैन ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

दौराने वाद उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई।

वाद पत्र, स्वीकारात्मक जवाब दावा , राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 44 रकबा 1.3785 हेक्टर का 1/2 हिस्सा एवं ख. नं. 45 रकबा 0.4679 हेक्टर का 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता रामविलास पि. कंवरलाल जाति महाजन नि. माथनिया द्वारा तत्कालीन खातेदार पूरानाथ पि. ओंकारनाथ नि. माथनिया से दिनांक 15.09.1969 को रजिस्टर्ड बयनामें से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामा.सं. 442 दर्ज होकर तस्दीक किया गया परन्तु फ्रेगमेंट की जद में आने से उक्त नामा. का अमल रोक दिया गया है।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़
प्रशासन गांव के संग 2021

COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(4)

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 44 रकबा 1.3785 हेक्टर का 1/2 हिस्सा एवं ख. नं. 45 रकबा 0.4679 हेक्टर का 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़
प्रशासन गांव के संग 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:22 IST
Reason: SelfAttested

आराजी वादीगण के पिता रामबिलास पिता कवरलाल जाति

Scanned by TapScanner

(5)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 45 / 2021 / राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राधेश्याम गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
3. रामबाबू गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर
4. राजेश कुमार गुप्ता पि. रामविलास जाति महाजन नि. माथनिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. भेरूनाथ पि. पूरानाथ जाति नाथ बाबा नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राज.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 , 209 रा.टी.एक्ट

वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री विनोद जैन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 44 रकबा 1.3785 हेक्टर का 1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 45 रकबा 0.4679 हेक्टर का 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़
प्रशासन गांव के संग 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(6)

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/12/2021 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

प्रशासन गांव के संग 2021

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner